रजिस्ट्री सं. डी. (डी एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 674] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 15, 1991/कार्तिक 24, 1913
No. 674] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 15, 1991/KARTIKA 24, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह असग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

पर्यावरण और वन मंत्रालय
(पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग)
अधिसूचनाएं
नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 1991

का.आ. 779 (अ).—केन्द्रीय सरकार, लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (1991 का 6) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 12 के अधीन इसमें निहित शक्तियां इस शर्त के अधीन रहते हुए, संबंधित राज्य सरकारों को उन्हें अपनी-अपनी अधिकारिता में प्रयोग करने के लिए प्रत्यायोजित करती है कि केन्द्रीय सरकार, शक्तियों के ऐसे प्रत्यायोजन का सभी या किसी एक या अधिक राज्य सरकारों के संबंध में प्रतिसंहरण कर सकेगी या अधिनियम की क्रार धारा के उपबंधों का स्वयं प्रवर्तन ले सकेगी यदि केन्द्रीय सरकार की राय में लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है।

[फा.सं. 18 (3)/91-पी एल]

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS
(Department of Environment, Forests and Wildlife)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 15th November, 1991

S.O. 779 (E).—In exercise of the powers conferred by section 19 of the Public Liability Insurance Act, 1991 (6 of 1991) the Central Government hereby delegates the powers vested in it under section 12 of the said Act to the respective State Governments, to exercise the same within their respective jurisdiction subject to the condition that the Central Government may be voke such delegation of powers in respect of all or any one or more of the State Governments or may itself invoke the provisions of above section of the Act, if in the opinion of the Central Government such a course of action is necessary in public interest.

[F. N. 18(3)|91-PL]

का.आ. 780 (अ) : —केन्द्रीय सरकार लोक दायित्व, बीमा अधिनियम, 1991 (1991 का 6) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 9, 10 और 11 के अधीन इसमें निहित शक्तियां, इस शर्त के अधीन रहते हुए राज्य सरकारों को, उन्हें अपनी-अपनी अधिकारिता में प्रयोग करने के लिए और समस्त भारत के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रत्यायोजित करती है कि केन्द्रीय सरकार शक्तियों के ऐसे प्रत्यायोजन का सभी या किसी एक या अधिक राज्य सरकारों या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संबंध में प्रतिसंहरण कर सकेगी या अधिनियम की ऊपर धाराओं के उपबंधों का स्वयं अवलम्ब ले सकेगी, यदि केन्द्रीय सरकार की राय में लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है।

[फा.सं. 18 (3)/91-पी एन]

मुकुल सांवल, संयुक्त सचिव

S.O. 780(E).—In exercise of the powers conferred by the section 19 of the Public Liability Insurance Act, 1991 (6 of 1991), the Central Government hereby delegates the powers and functions vested in it under sections 9, 10 and 11 to the State Governments to exercise the same within their respective jurisdiction and to the Central Pollution Control Board for the whole of India, subject to the condition that the Central Government may revoke such delegation of powers in respect of all or anyone or more of the State Governments or the Central Pollution Control Board, or may itself invoke the provisions of the above sections of the Act, if in the opinion of the Central Government such a course of action is necessary in public interest.

[F. No. 18(3)|91-PL]
MUKUL SANWAL, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1991